कार्यालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद सं0 ..44.. / 2018–19

शिव कुमार मोदी,
पिता– नारायण मोदी
साकिन– हीरोडीह
जिला– कोडरमा

18.07.2018 श्री शिव कुमार मोदी, पिता– नारायण मोदी, साकिन– हीरोडीह, थाना– जयनगर, जिला– कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनकी भूमि; मौजा– तिलैया, खाता सं0– 567, प्लॉट नं0– 7482, रकबा– 0.07 ए0 भूमि, उनके परदादा– निरपत मोदी वो हुलास मोदी; दोनों के पिता– ललीत मोदी के नाम से जमाबंदी पूर्व से चली आ रही थी। किन्तु पंजी II फट जाने के कारण ऑनलाइन प्रविष्टि नहीं हुई।

आवेदक, श्री मोदी के द्वारा खतियान तथा मालगुजारी रसीद सं0– 842616 वर्ष 2008–09 की छायाप्रति अपने आवेदन के साथ संलग्न करते हुए अपनी भूमि की ऑनलाइन जमाबंदी कायम कर मालगुजारी रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त आवेदन के आलोक में राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक से जांच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक ..28.. / ..07.. / 2018 को उपस्थापित करें।

18/07/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

28.07.2018 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक से विहित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। जांचोपरांत राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया हैं, "मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 के खाता सं0– 567, रकबा– 0.07 ए0 भूमि लगान 1.00 रू0 निरपत मोदी वगैरह के नाम से पंजी II के पृष्ट सं0 98/III पर जमाबंदी दर्ज था। उक्त पंजी में पृष्ट सं0 98/III क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे जमाबंदी स्पष्ट नहीं होता है। अंचल अमीन से मापी के पश्चात जमाबंदी कायम करने की कार्रवाई की जा सकती है। **उक्त भूमि रैयती खाते की है।**"

मापी के उपरांत अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244, खाता सं0– 567, प्लॉट नं0– 7482, रकबा– 07 डी0 के खतियानी वंशज आवेदक शिव कुमार मोदी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र सं0– 2341 दिनांक 01.06.2018 के अनुसार स्थल पर पहुँच कर नक्शा से जांच के दौरान पाया गया कि आवेदक के दादा नृपत मोदी 10 अंश वो हुलास मोदी के 06 अंश के नाम से खतियान दर्ज है, जिस पर खतियानी परिवार के वंशजगण, रामदेव, प्रकाश, सुभाष, राजेन्द्र, सुधीर, पिता– स्व0 बालचंद मोदी वो महादेव, भुनेश्वार वो नारायण मोदी, पिता– स्व0 हुलास मोदी का पक्का मकान बनाकर वो गली तरफ 07 दुकान चला रहे हैं। जमीन पर शांतिपूर्वक दखल है। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, न ही बिक्री किये हैं।" अंचल अमीन के द्वारा जमाबंदी कायम करने हेतु अनुशंसा की गई है।

अंचल नाजीर के द्वारा आवेदक के आवेदन में संलग्न सरकारी लगान रसीद का नजारत में उपलब्ध रसीद भंडार पंजी से मिलान कर प्रतिवेदित किया गया है, ''रसीद सं0– 842616 दिनांक 10.06.2008 लगान भंडार पंजी से मिलान करने पर दर्ज पाया गया।''

अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, ''हल्का कर्मचारी एवं अंचल अमीन के जांच प्रतिवेदन एवं निर्गत रसीद के आधार पर जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की जाती है।''

आवेदक को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि से संबंधित मूल राजस्व कागजातों की मांग करें। साथ ही आम–इस्तहार निर्गत कर दावा/आपत्ति की मांग करें।

अभिलेख दिनांक ..11.../..08../2018 को उपस्थापित करें।

28/07/2018

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

11.08.2018 अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई दावा/आपत्ति दर्ज नहीं की गई।

आवेदक, शिव कुमार मोदी, पिता– नारायण मोदी उपस्थित हैं। उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में खतियान तथा मालगुजारी रसीद सं0– 842616 वर्ष 2008–09 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया। दावेदार के द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा के न्यायालय से निर्गत शपथ पत्र सं0– 2341 दिनांक 01.06.2018 दाखिल किया गया है।

राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक के द्वारा जांच के उपरांत विहित प्रपत्र में समर्पित जांच–प्रतिवेदन तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि रैयती खाते की भूमि है, जिसकी जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं0– 98/III पर निरपत मोदी वगैरह के नाम से चल रही थी। उक्त जमाबंदी पंजी II के पृष्ट सं0– 98/III क्षतिग्रस्त हो चुका है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों एवं राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक/अंचल नाजीर के जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आधार पर ऑनलाइन पंजी II में मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244, खाता सं0– 567, प्लॉट नं0– 7482, रकबा– 07 डी0, माल– 1.00 रू0, भूमि की जमाबंदी निरपत मोदी, हुलास मोदी; दोनों के पिता– ललीत मोदी, साकिन– हीरोडीह, पोस्ट– हीरोडीह, थाना– जयनगर, जिला–कोडरमा के नाम से करने का आदेश निर्गत किया जाता है।

अभिलेख में कार्रवाई ....बंद.... की जाती है।

11/08/2018

लेखापित एवं संशोधित

11/08/2018

अंचल अधिकारी,
कोडरमा